KOLHAN UNIVERSITY
CHAIBASA, WEST SINGHBHUM
JHARKHAND, PIN-833201
CONTACT NO. – 06582-255274

Ref. No. KU/R/ 1402(A)/17 Date 14-11-18

सेवा में
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के
अधिषद् के माननीय सदस्य
....
....

विषय : दिनांक 10/11/17 को सम्पन्न अधिषद् की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के आलोक में दिनांक 10/11/17 को माननीया कुलपति डॉ0 (श्रीमती) शुक्ला माहांती की अध्यक्षता में सम्पन्न अधिषद् की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय आपके अवलोकनार्थ/कार्यार्थ प्रेषित की जा रही है ।

अनुलग्नक : (कुल – 08 पृष्ठ)

कुलपति के आदेश से
ह0/–
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।
दिनांक 14-11-17

पंत्राक KU/R/1402(A)/17
प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के विशेष कार्य पदा0 (न्या0) राजभवन, रॉची ।
2. सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची ।
3. निदेशक, (उच्च शिक्षा), उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, रॉची ।
4. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के सभी पदाधिकारीगण के सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
5. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित परामर्शी के सहायकों का कुलपति/प्रतिकुलपति/वित परामर्शी के सूचनार्थ ।
6. स्थापना शाखा, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

14.11.17

(डॉ0 एस0 एन0 सिंह)
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

DR Office

14/11/17

Scanned by CamScanner

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के दिनांक 10.11.17 को सम्पन्न (अधिषद्) की तीसरी (वार्षिक) बैठक की कार्यवाही।

कोल्हान विश्वविद्यालय की सीनेट की तीसरी (वार्षिक) बैठक दिनांक 10.11.17 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में निर्धारित समय से शुरू हुई। सर्वप्रथम **कुलसचिव डॉ0 एस0 एन0 सिंह** के द्वारा सीनेट की बैठक में भाग लेने आए सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति के कार्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में सीनेट की तीसरी (वार्षिक) बैठक आयोजित करने हेतु महामहिम से प्राप्त अनुमति से अवगत कराया गया जिनके तहत माननीय कुलपति डॉ0 शुक्ला महांती को सीनेट की बैठक की अध्यक्षता हेतु अधिकृत किया गया है।

तत्पश्चात् कुलपति महोदया के द्वारा अभिभाषण दिया गया। इसमें उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल सह–झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति की कृपापूर्ण सहमति से आयोजित कोल्हान विश्वविद्यालय की तृतीय अधिषद् बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण का स्वागत और अभिनन्दन किया गया एवं इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण और कर्मचारीगण के प्रति आभार प्रकट किया गया। उनके द्वारा विश्वविद्यालय के उपलब्धियों के संबंध में बताया गया कि किस तरह से आठ वर्षो की इस छोटी सी अवधि में ही राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद **(NAAC)**से मान्यता प्राप्त कर विश्वविद्यालय ने यह सिद्ध कर दिया है कि 'मन के हारे हार है– मन के जीते जीत।' सीमित संसाधनों के बावजूद कोल्हान विश्वविद्यालय यह संभव करने का साहसिक कार्य किया है और यह सबकुछ, विश्वविद्यालय परिवार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों की अपेक्षा कोल्हान विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों ने सर्वाधिक संख्या में नैक से मान्यता प्राप्त की है। विश्वविद्यालय के विकास की कहानी महाविद्यालयों के विकास में ही समाहित है। टाटा कॉलेज, चाईबासा के कुछ कमरों से सफर प्रारम्भ करने वाले इस विश्वविद्यालय के पास सरकार के सहयोग से अब 35 एकड़ भूमि का अपना विशाल प्रांगण है। आज विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को हर सुविधा देने में पूर्णतः सक्षम हैं। सन् 2009 में 27476 विद्यार्थियों के साथ अपना सफर शुरू करने वाले इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष बढ़कर लगभग 81000 हो गई थी जो इस वर्ष लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 90000 हो गई है। सरकार के सहयोग, राजभवन के दिशानिर्देश व 19 अंगीभूत महाविद्यालयों और 30 सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालय परिवार अब भरा–पूरा हो गया है। इस परिवार में एक मेडिकल कॉलेज, एक डेन्टल कॉलेज, चार इंजीनियरिंग कॉलेज, पांच बीएड कॉलेज एवं एक मैनेजमेंट कॉलेज भी हैं। 19 अंगीभूत कॉलेजों के बीच 3 नवस्थापित अंगीभूत कॉलेज भी हैं जो सुदूर ग्रामीण एवं वन क्षेत्र में चल रहे हैं। यहाँ के युवक व युवती जिनकी उच्च्य शिक्षा एक बड़ा सवाल बनी हुई थी अब वह इन महाविद्यालयों की स्थापना से हल होती दिख रही है। यह सब कोल्हान विश्वविद्यालय की पूंजी है। आज इस विश्वविद्यालय के पास अपना प्रशासनिक भवन, स्नातकोत्तर भवन, परीक्षा भवन, विभिन्न विषयों के विभागीय–भवन हैं। विश्वविद्यालय का प्रेक्षागृह के साथ ही कुलपति, प्रतिकुलपति, शिक्षक, कर्मचारियों के लिए आवास का भी निर्माण अंतिम चरण में है। इसके साथ ही कुलपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से किए जा रहे प्रयासों एवं भविष्य के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

14/11/17

Scanned by CamScanner

कुलपति के अभिभाषण के पश्चात् माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला के द्वारा विश्वविद्यालय के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की गई एवं जमशेदपुर कॉपरेटिव विधि महाविद्यालय को अपनी अलग पहचान देने का अनुरोध किया गया जिससे कि बार काउंसिल से पूर्ण कालीन सम्बंधता मिल सके।

माननीय सदस्य श्री मनोज सिंह के द्वारा C.B.C.S पाठ्यक्रम की काफी तारीफ की गई एवं छात्रों का आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास किस प्रकार हो इस पर जोर देने की बात कही गई जिससे छात्र–छात्राएँ ज्यादा लाभान्वित हो सके।

माननीय सदस्य श्री दारा सिंह गुप्ता, कोल्हान विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान द्वारा C.B.C.S पर कॉलेज स्तर पर workshop कराने का आग्रह किया गया जिससे C.B.C.S का सभी भली–भाँती जान सके।

माननीय सदस्य डॉ नरेश कुमार, अंग्रेजी विभाग, घाटशिला कॉलेज, घाटशिला, द्वारा C.B.C.S पर अपने विचार रखते हुए उनका कहना था कि जो C.B.C.S बनाया गया है ये बहुत अच्छा है पर इसमें शिक्षकों का क्या work force होगा और शिक्षकों पर क्या work load पड़ने वाला है ? इसमे विचार करने की बात है क्योंकि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पास अतिथि शिक्षक भी नहीं है और कहीं–कहीं पर तो अंग्रेजी जैसे विषय पर अतिथि शिक्षक मिलने में भी कठिनाई है, ऐसे में C.B.C.S पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि में पूरा कर पाना एक चुनौती होगा। तत्पश्चात् मदवार अभिषद् की कार्रवाई शुरू की गई।

मद संख्या 01 (पृष्ठ 06 से पृष्ठ 12)

अधिषद् की दिनांक 27 फरवरी, 2015 को सम्पन्न दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों की संपुष्टि

मद संख्या 01 को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

मद संख्या 02 (पृष्ठ 13 से पृष्ठ 76)

अधिषद् की पिछली बैठक (दिनांक 27.02.2015) से अब तक (दिनांक 10.11.17) सम्पन्न विद्वत परिषद् की बैठको में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन ।

अधिषद् की पिछली बैठक (27 फरवरी 2015) से अब तक सम्पन्न हुई (10.11.17) विद्त परिषद् (Academic Council) के सभी बैठकों के कार्यवृत एवं कार्यवाही को अनुमोदन के लिए सदन के पटल पर रखा गया। (वैठक संख्या 10वीं से 14वीं कुल 05 वैठक) चर्चा के उपरान्त सदन द्वारा विद्वत परिषद् के सभी निर्णयों की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

मद संख्या 03 (पृष्ठ 077 से पृष्ठ 209)

वर्ष 2015 से आयोजित अधिषद् की पिछली बैठक (27.02.15) से अब तक (10.11.17) अभिषद् (Syndicate) द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का अनुमोदन

वर्ष 2015 में आयोजित अधिषद् की पिछली बैठक (27.02.15) से अब तक (10.11.17) विभिन्न तिथियों पर संपन्न अभिषद् की पिछली 13 बैठकों (वैठक संख्या 28वीं से वैठक संख्या 40वीं)के कार्यवृतों एवं कार्यवाही को अनुमोदन हेतु अधिषद् की बैठक में सदन पटल पर रखा गया। चर्चा के उपरान्त अभिषद् की हुई उक्त सभी बैठकों के कार्यवृतों एवं कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

14.11.17

Scanned by CamScanner

मद संख्या 04 (पृष्ठ 210 से पृष्ठ 243)

अधिषद् की पिछली बैठक (दिनांक 27.02.2015) से अब तक (10.11.17) सम्पन्न वित्त समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन ।

वर्ष 2015 में आयोजित अधिषद् की पिछली बैठक (27.02.15) से अब तक (10.11.17) वित्त समिति (Finance Committee) द्वारा लिए गए सभी निणयों के अनुमोदन हेतु निणयों की प्रति सदन के पटल पर रखा गया। चर्चा के उपरान्त वर्ष 2015 से अबतक वित्त समिति की हुई सभी बैठकों के कार्यवृतों एवं कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

मद संख्या 05 (अलग से परिशिष्ट (Vol-I) (पृष्ठ 001 से पृष्ठ 054)

अधिषद् की पिछली बैठक (दिनांक 27.02.2015) से अब तक सम्पन्न परीक्षा परिषद् की बैठको में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन ।

वर्ष 2015 में आयोजित अधिषद् की पिछली बैठक (27.02.15) से अब तक (10.11.17) परीक्षा परिषद् द्वारा लिए गए सभी निणयों के अनुमोदन हेतु निणयों की प्रति सदन के पटल पर रखा गया। चर्चा के उपरान्त वर्ष 2015 से अबतक परीक्षा परिषद् की हुई सभी बैठकों के कार्यवृतों एवं कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

मद संख्या 06 (अलग से परिशिष्ट (Vol-II) (पृष्ठ 001 से पृष्ठ 062)

अधिषद् की पिछली बैठक (दिनांक 27.02.2015) से अब तक स्वीकृत विभिन्न प्रकार के Regulations का अनुमोदन ।

अधिषद् की पिछली बैठक (दिनांक 27.02.2015) से अब तक (10.11.17) विद्त परिषद् से स्वीकृत/अंगीकृत सभी Regulations की प्रति परिशिष्ट Vol-II (पृष्ठ 001 से पृष्ठ 062 तक) के रूप में सदन पटल पर अनुमोर्दनार्थ रखा गया। इसपर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 07 (अलग से परिशिष्ट (Vol-III) (पृष्ठ 001 से पृष्ठ 052)

कोल्हान विश्वविद्यालय के वितीय वर्ष 2018–19 का आय–व्यय (बजट) प्रस्ताव का अनुमोदन ।

कोल्हान विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट विश्वविद्यालय के अभिषद् की 41 वीं बैठक (दिनांक 07.11.17 को संपन्न) में अनुमोदित किया गया। अभिषद् की 41 वीं बैठक की कार्यवाही एवं उसमें लिए गए निर्णयों को अनुमोदन हेतु अलग से परिशिष्ट Vol-III (पृष्ठ 001 से पृष्ठ 052) के रूप में सदन पटल पर रखा गया। चर्चा के उपरान्त उक्त निर्णयों को (कोल्हान विश्वविद्यालय के वर्ष 2018–19 के बजट प्रस्ताव सहित) सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

14.11.17

Scanned by CamScanner

मद संख्या 08 (पृष्ठ 247)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 यथा अद्यतन सशोधित की धारा 52 के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय तदर्थ अंकेक्षण समिति के सदस्यो का मनोनयन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000, यथा अद्यतन संशाधित की धारा 52(3)(2) के तहत अधिषद् के द्वारा विश्वविद्यालय के तदर्थ अंकेक्षण समिति के लिए आठ सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। इस सबंध में पुराने सदस्यों के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् अधिषद् से स्वीकृति के प्रत्याशा में अधिसूचना संख्या KU/R/1147/16 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा कुलपति के द्वारा तदर्थ रूप से सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। उक्त नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति एवं नए सिरे से तदर्थ अंकेक्षण समिति के सदस्यों की नियुक्ति हेतु सदन से अनुरोध किया गया।

निर्णयः– उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति देते हुए निम्न सदस्यों की नियुक्ति तदर्थ अंकेक्षण समिति के लिए की गईः–

i) श्री दीपक बिरूआ, सदस्य विधानसभा
ii) डॉ डी0 एन0 महतो, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय
iii) डॉ एस0 सी0 दाश, टाटा कॉलेज, चाईबासा।
iv) डॉ नरेश कुमार, अंग्रेजी विभाग, घाटशिला महाविद्यालय, घाटशिला।
v) डॉ वीणा प्रियदर्शी, ग्रेजुएट स्कुल कॉलेज फॉर वोमेनं।
vi) डॉ बी0 के0 सिंह, को–आपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुरं।
vii) डॉ एम0 आर0 सिन्हा, को0 आपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर।
viii) डॉ एस0 पी0 मंडल, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग,

मद संख्या 09 (पृष्ठ 248)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 55 (1) के तहत वित्त समिति के चार सदस्यों के मनोनयन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, यथा अद्यतन संशोंधित की धारा 55(1) के तहत विश्वविद्यालय के वित्त समिति के लिए चार सदस्यों का चुनाव अधिषद् के द्वारा किया जाना है। इस संबंध में पूर्व में पुराने सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर कुलपति द्वारा अधिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्त समिति के लिए सदस्यों का मनोनयन अधिसूचना संख्या KU/R/1385/16 दिनांक 02-12-16 के द्वारा किया गया था। उक्त अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति एवं चार नए सदस्यों के चुनाव के लिए सदन से अनुरोध किया गया।

निर्णयः उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में पूर्व में विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति देते हुए निम्न चार सदस्यों का चुनाव सर्वसम्मति से कोल्हान विश्वविद्यालय के वित्त समिति के लिए किया गयाः–

i) श्री देवब्रत महापात्रा
ii) डॉ किरण शुक्ला
iii) डॉ के0 के0 कमलेन्दु
iv) डॉ विजय कुमार

14/11/17

Scanned by CamScanner

मद संख्या 10 (पृष्ठ 249)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 22(1)(i) के तहत कोल्हान विश्वविद्यालय अभिषद् के लिए गैर शिक्षक सदस्यों में से चार सदस्यों को निर्वाचित करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से कोल्हान विश्वविद्यालय के अभिषद् के लिए निम्न चार सदस्यों का निर्वाचन किया गयाः–

i) श्री अमिताभ सेनापति –General
ii) श्री साधु चरण महतो –OBC
iii) श्री मनोज कुमार सिंह –General
iv) श्री गुहा राम–SC/ST

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अधिनियम के धारा 22(1)(h) के तहत सदस्यों के चयन हेतु 15 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी की जाएगी एवं संपूर्ण प्रक्रिया दो महीने के अन्दर पूरी कर ली जाएगी।

मद संख्या 11 अन्यान्य (अध्यक्ष की अनुंमति सें)

i) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एक सदस्य का चुनाव

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(b) के तहत विश्वविद्यालय के अधिषद् के द्वारा मेडिकल फैकल्टी से एक सदस्य का चुनाव का प्रावधान है। उपरोक्त धारा में वर्णित प्रावधानों के आलोक में तत्कालीन कुलसचिव द्वारा नामांकन हेतु अधिसूचना निर्गत की गई एवं एकमात्र नामांकन डॉ0 अमरेन्द्र नारायण मिश्रा, प्रोफेसर फारमोकोलोजी, एम0 जी0 एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर का प्राप्त हुआ तथा नामांकन के सही पाए जाने से संबंधित अधिसूचना निर्गत की गई। अधिसूचना एवं एक्ट की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी गई।

अभिषद् के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपर वर्णित धारा के अधीन मेडिकल काउसिल ऑफ इंडिया में सदस्य के रूप में डॉ0 अमरेन्द्र नारायण मिश्रा का नाम स्वीकृत करने की कृपा करें।

निर्णयः– उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। हँालाकि इस प्रस्ताव पर वर्त्तमान मेडिकल डीन के द्वारा असहमति व्यक्त की गई एवं नए सिरे से पुनः निर्वाचन की मांग की गई जिसे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उपरोक्त प्रस्तावों के सदन द्वारा स्वीकृति के पश्चात् प्रश्नकाल शुरू किया गया जिसमें कुछ माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय एवं इसके अंतर्गत आनेवाले महाविद्यालयों से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए जिनका उत्तर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया एवं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

ii) NSS का Elective subject के रूप में syllabus में शामिल करने हेतु श्री अमिताभ सेनापति के द्वारा आग्रह किया गया।

इस संबंध में उन्हें बताया गया कि अगले सत्र से इसे elective subject के रूप में शामिल किया जाएगा।

14.11.17

Scanned by CamScanner

iii) माननीय सदस्य श्री दीपक बिरूआ के द्वारा TRL विभाग में Guest Teacher के appointment के लिए interview जल्द से जल्द करवाने हेतु अनुरोध किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें। साथ ही उनके द्वारा TRL विभाग को अलग–अलग पृथक विभाग वनाने हेतु प्रयास किए जाने का सुझाव दिया गया।

iv) माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला के द्वारा GSCW के स्थानान्तरण, TRL के विकास के लिए प्रयास की आवश्यकता एवं अन्य महाविद्यालयों को भी आधारभूत संरचना बढ़ाने जैसे (toilet, Building etc.) हेतु प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया।

v) माननीय सदस्य श्री विशवम्भर यादव के द्वारा कर्मचारियों की निम्न समस्याओं के समाधान करने हेतु अनुरोध किया गया।

a) कर्मचारियो के लंबित वेतन निर्धारण का अनुमोदन राज्य सरकार के स्तर से।

b) रॉची विश्वविद्यालय के 2004 के पद के आधार पर वेतन निर्धारण।

c) चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के ग्रेड पे में राज्य सरकार के आदेश के आलोक में वृद्वि हेतु कार्रवाई

d) 3rd grade के कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु प्रयास किया जाए।

e) 5th pay revision के arrear (15.11.2000 के पूर्व का) का भुगतान किया जाय।

f) 4th grade के employee के promotion हेतु बने statute में वर्णित आयु सीमा 55 वर्ष को बदलने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए।

vi) माननीय सदस्य श्री इंदल पासवान, बहरागोड़ा कॉलेज के द्वारा अनुरोध किया गया कि

a) अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा महाविद्यालय के टीमों को भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाय।

b) NCC, NSS, Sports का चयन हेतु छात्रों/छात्राओं को नामांकन के समय ही विकल्प लेकर Compulsory बनाने की कार्रवाई की जाए।

vii) माननीय सदस्य डॉ विजय कुमार पियूष के द्वारा अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया।

इस संबंध मे उन्हे वताया गया कि कार्यवाही अग्रसर है।

viii) माननीय सदस्य श्री कृष्णा प्यारे, के0 एस0 महाविद्यालय, सरायकेला के द्वारा के0 एस0 महाविद्यालय में नवनिर्मित विज्ञान भवन बनकर तैयार होने के बावजूद hand over नहीं होने का मामला उठाया गया। उक्त नवनिर्मित भवन मे रिसाव (seepage) के कारण उसे hand over नहीं किया गया है। उक्त महाविद्यालय में कमरों की संख्या काफी कम है जिसके कारण सही ढ़ग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है।

साथ ही उनके द्वारा UG/PG में CBCS के तहत पढ़ाई के लिए शिक्षकों की कमी का मामला उठाया गया।

ix) माननीय सदस्य श्री देवव्रत महापात्रा, के द्वारा 2017–18 के लिए St. Augustin College में Admission हो गया है लेकिन कुछ विषयों में Affiliation नहीं देने का मामला उठाया गया।

14.11.17

Scanned by CamScanner

इस संबंध में उन्हे वताया गया कि भवन से संवंधित ममाले की समीक्षा की जा रही है।

x) माननीय सदस्य श्री दारा सिंह गुप्ता द्वारा deputation allowance को बढ़ाने, Practical related समस्या एवं 2008 के Ph.D का मामला उठाया गया।
इस संबंध में उन्हें वताया गया कि 2008 वैच के Ph.D increment का मामला उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रेषित है।

<u>भोजनावकाश के पश्चात् की कार्रवाई (3:15 p.m)</u>

i) प्रश्न–माननीय सदस्य डॉ राजेन्द्र भारती के द्वारा 5TH & 6TH Pay arrear बकाए के भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी गई एवं Grade pay का implementation के विषय में जानकारी मांगी गई।

उत्तर– इस पर वित्त पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि शिक्षकों को 6th pay का arrear 2 किस्तो में भूगतान किया गया है। जिस कॉलेज के शिक्षकों को arrear प्राप्त नहीं हुआ है उस कॉलेज के प्राचार्य को सबंधित शिक्षकों का arrear statement तैयार कर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया ताकि जल्द से जल्द भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। 3rd instalment के लिए सरकार से राशि प्राय होने पर भुगतान किया जाएगा। 2008 वैच के शिक्षकों के लिए central share 80% प्राप्त नहीं होगा उनका भुगतन state share से ही प्राप्त होगा।
Grade pay के सबंध में बताया गया कि इसे सरकार के समक्ष भेजा गया है। सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

ii) प्रश्न– माननीय सदस्य श्री कमलेश कुमार कमलेन्दु द्वारा Branch Office से Migration संबंन्धी कागजात उपलब्ध कराए जाने का मामला को उठाया गया एवं Guest Faculty के नियुक्ति के विषय में जानकारी मांगी गई।

उत्तर– Guest Faculty के नियुक्ति के विषय पर कुलसचिव के द्वारा बताया गया कि नियुक्ति सम्बधित सारी प्रकिया कर HRD के समक्ष demand भेजा गया है जव तक सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों का वेतन सम्बधित ग्रांट का आवंटन नहीं प्राप्त होता है तव तक के लिए अतिथि शिक्षकों का वेतन विश्वविद्यालय से देना सम्भव नहीं है। इस सबंध में कुलसचिव द्वारा अधिकारिक रूप से वेतन मद में राशि आवन्टित करने हेतु अनुरोध किया गया था। तथा विभाग द्वारा बताया गया कि इसके लिए Budget Provision के पश्चात् ही राशि निर्गत किया जायेगा जो Feb. माह तक सम्भव है।

iii) प्रश्न– माननीय सदस्य श्री सोनू ठाकुर द्वारा LLB Affilaition, sports Annual Calander, fee enhancement एवं Tenure of Principal in College के संम्बंध में जानकारी मांगी गई।

उत्तर– माननीय सदस्य श्री सोनू ठाकुर के प्रश्न के जबाब में कुलसचिव द्वारा बताया गया कि प्राचार्य का स्थानांन्तरण 4 साल के कार्यावधि के पश्चात् Section 10/20 के तहत अथवा विशेष परिस्थिति में कुलपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान प्राचार्यों के transfer के सबंध में नियमानुसार विचार किया जायेगा।

iv) प्रश्न– माननीय सदस्य श्री अमिताभ सेनापती द्वारा Training Management, personality developmet, placement, student oriented course, Institute of tourism as

14/1/17

Scanned by CamScanner

elective subject in CBCS couse में जोडने को कहा गया एवं कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय को और बढ़ाए जाने का मामला उठाया गया।

उत्तर–माननीय सदस्य अमिताभ सेनापति के प्रश्न के जबाब में कुलसचिव द्वारा बताया गया कि एक माह पहले कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय 3000/–रुपया वढ़ाया गया है।

v) **प्रश्न– माननीय सदस्य डॉ नरेश कुमार द्वारा Enhancement of EL, T.A. provision for DRC member, Remuneration for Examination एवं Holidays Semester Wise न होने को मामला उठाया गया।**

उत्तर–इस पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा बताया गया कि मुल्यांकन केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को मूल्यांकन कार्य संचालन हेतु अग्रिम के तौर पर राशि दिया जाता है। यह राशि केन्द्र द्वारा प्राप्त कॉपी के संख्या के आधार पर दिया जाता है तथा राशि खर्च के पश्चात् उसकी उपयोगिता प्रभाण पत्र विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाता है ताकि यदि अधिक राशि खर्च हुआ हो तो पुनः राशि निर्गत किया जा सके। लेकिन महाविद्यालय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण विलम्ब होता है।

DRC के मेम्वरों के TA/DA के सन्दर्भ में वित्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि TA/DA सम्बंधित विभाग से भुगतान किया जाता है।

vi) **प्रश्न– माननीय सदस्य डॉ विजय पियूष के द्वारा जमशेदपुर कोपरेटिव कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर और ध्यान देने एवं कोपरेटिव कॉलेज में असामाजिक तत्वो के जमाव का प्रश्न उठाया गया।**

उत्तर–इस पर कुलसचिव द्वारा बताया गया कि को0–आपरेटिव कॉलेज के वाउन्ड्रीवाल वनाने हेतु एक DPR वनाकर विश्वविद्यालय के समक्ष भेजने हेतु कहा गया था परन्तु अभीतक महाविद्यालय द्वारा DPR नहीं भेजा गया है। इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई गई।

vii) **प्रश्न– माननीय सदस्य श्री विशम्भर यादव द्वारा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का प्रश्न उठाया गया।**

उत्तर– इस पर कुलसचिव द्वारा बताया गया कि शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लंवित वेतन निर्धारण हेतु सारी कागजात उच्च शिक्षा निदेशालय का उपलब्ध कराया गया है। इस सबंध में विश्वविद्यालय की ओर से राज्य सरकार पर दवाव है। जिन कर्मियों को चतुर्थ वेतन मिला था उन्हे पंचम वेतन मान मिलना चाहिये। विश्वविद्यालय द्वारा भी कहा गया है कि संवंधित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पंचम/छठा वेतन मान दिया जाना चाहिए।

viii) **प्रश्न– माननीय सदस्य** डा0 लोकनाथ **द्वारा payment of monthly salary, M.Phil & Ph.D increment of 2008 batch एवं Maternity Leave at least 6 months करने का मामला उठाया गया।**

उत्तर–इस पर कुलसचिव द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय के अधीन हर जगह के कॉलेज का वेतन demand माह के 25 तारीख तक आने से भुगतान माह के प्रथम सप्ताह में संभव है लेकिन कई कॉलेज माह के 25 तारीख तक demand नहीं भेजते है, जिसके कारण वेतन निर्गत करने में देर होती है। प्राचायों से निवेदन है कि वे हर माह के 25 तारीख तक वेतन demand भेजें।

अन्त में **प्रति कुलपति** द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं तत्पश्चात् राष्ट्रगान के साथ बैठक सम्पन्न हुआ।

11.1.17

डॉ0 एस0 एन0 सिंह
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

SMahanty
14/4/17

डॉ0 शुक्ला महांती
कुलपति
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

Scanned by CamScanner